संख्या-28/2020/1002/सैंतीस-2-2020-1(9)/2019टीसी-1

प्रेषक,

एन. पी. पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-07 अप्रैल, 2020

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2403-पशुपालन के अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-4277/बजट/29(5)/30/13/2020-21, दिनांक-31.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के निम्नलिखित मानक मदों में मतदेय में कुल रू0-107005.08 लाख (रूपये दस अरब सत्तर करोड़ पाँच लाख आठ हजार मात्र) तथा भारित में रू0-13.79 लाख (रूपये तेरह लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	80552.12
02-मजदूरी	98.06
03-मंहगाई भत्ता	20138.03
04-यात्रा व्यय	60.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00
06-अन्य भत्ते	25.00
07-मानदेय	4.00
08-कार्यालय व्यय	10.44
09-विद्युत देय	600.00
10-जलकर/जलप्रभार	300.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.15
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	6.65
13-टेलीफोन पर व्यय	15.30
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	120.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	75.00
18-प्रकाशन	0.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.50
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	3.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	6.00
29-अनुरक्षण	22.00
39-औषधि तथा रसायन	250.00
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	6.00
42-अन्य व्यय (मतदेय)	100.00
42-अन्य व्यय (भारित)	13.79
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	400.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	45.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8.00
49-चिकित्सा व्यय	410.00
51-वर्दी व्यय	1.00
55-मकान किराया भत्ता	1986.80
56-नगर प्रतिकर भत्ता	159.53
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1580.00
योग-001-03 (मतदेय)	**107005.08**
(भारित)	**13.79**

(1) स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(2) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(3) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे पेट्रोल/यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(5) सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने एवं सक्षम स्तर से कार्यदायी संस्था निर्धारित कराने के उपरान्त ही मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन. पी. पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-28/2020/1002(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in